

पं० दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय महाविद्यालय तिलहर, शाहजहांपुर।

(प्रवेश सत्र 2021-22)

अभ्यर्थी द्वारा रैगिंग सम्बन्धी शपथ-पत्र

मैं (विद्यार्थी का पूरा नाम प्रवेश पंजीकरण/नामांकन सं० सहित)
पुत्र/पुत्री श्री

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय तिलहर में प्रवेश लिया है।

1. रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उससे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्य रूप से धारा 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा 9.1 विनियम को समझा लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो महाविद्यालय प्रशासन मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं शपथपत्र यह निश्चय करता/करती हूँ कि—
 - (1) मैं किसी भी रैगिंग जो कि धारा 3 में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूंगा/लूंगी।
 - (2) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा/लूंगी जो कि रैगिंग के धारा 3 के अन्तर्गत आता हो।
5. मैं किसी भी प्रकार का रैगिंग में भाग नहीं लूंगा/लूंगी अथवा किसी भी प्रकार के रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी। यह घोषित करता/करती हूँ कि मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पायी गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संख्या द्वारा रैगिंग के मामले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर —

कक्षा —

पता —

मोबाइल नं० —